

का पत्र है।

पगावली पेश की आधीवर्षी वादी उप।  
 पगावली के पूर्व कादेश की पासना आधीवर्षी  
 वादी द्वारा नहीं की गरी एक रस हेतु  
 आधीवर्षी वादी द्वारा पूर्व के कर वार  
 अवसर लिए जा चुके हैं लेकिन कादेश।  
 की पासना नहीं की गरी अपः आधा लक्ष  
 के पूर्व कादेश की पासना नहीं करने  
 पर उक्त वाद खारिज किया जाएगा।  
 पगावली जमानत रु० ५००००/- हेतु १५०००/-  
 दाखिल है।

सही है

...-७ नाथकारो

मृगा (बाधपुर) राज.